

23.02.18 पत्रावली पेशा वकील पार्थिवान अनु० ।

न्यायालय समय में वकील पार्थिवान को
रुक कर तीन बार आवाज लगाई,
लेकिन कोई उप० नहीं, अतः पार्थिवान को
आवेदन अधम दायरी कठक पेशी में
खारीज किया जाता है। पत्रावली केसल
सुमार दोर दाखिल पकर दो।

अखण्ड अधिकारी
चौहटन